कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानान्तर्गत **प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2021–22** की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही मे की गई अनुशषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा– माध्य/संस्था–डीपीसी/प्रभाग–2/प्रधानाचार्य/2021–22 (नियमित) दिनांक 11.07..2022 द्वारा चयन किये जाने पर निम्नांकित कार्मिक को इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर **ऑफलाईन–काउन्सलिंग** के माध्यम से प्रधानाचार्य–उमावि (पे–लेवल 16) में पदोन्नति पर पदस्थापित किया जाता है।

वरिष्ठता क्रमांक	उप वरि.	वरि. वर्ष	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
323	0	2013–14	लियाकत हुसैन शेख, व्याख्याता राजनिति विज्ञान	11-09-1966	राजकीय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कोटडा, उदयपुर	उदयपुर	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा (223335)	उदयपुर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष वर्तमान कार्यरत मण्डल का ही हो, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक **24-12-2022** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रं : शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45001/प्रधानाचार्य/डीपीसी (2021–22)/पदस्थापन /2022 दि0 : 21 -12-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव–स्कूल शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2- उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3- विशिष्ट सहायक, माननीय् शिक्षा मंत्री राजस्थान–सरकार, जयपुर
4- विशिष्ट सहायक, माननीय् शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान–सरकार, जयपुर
5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6- समस्त संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा/ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
8- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
9- संबधित संस्था प्रधान को कार्मिक से सम्बन्धित, वर्णित प्रविष्टियों की जांच उपरान्त पालनार्थ।
10- संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
11- **सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।**
12- सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/वि0 जांच/डीपीसी/संस्था–सी ओएसी अनुभाग कार्यालय हाजा
13- निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(32)(ए) के प्रावधानान्तर्गत के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–मेट्रिक्स के लेवल–16 वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण **तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।**

इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासात्मक कार्यवाही प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/प्रभाग–2/प्रधानाचार्य/2020–21/2 दिनांकः 30–06–2022 के द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप, इनका पदोन्नति पर पदस्थापन, इनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय विद्यालय में प्रधानचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :—

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	716	2011-12	रामस्वरूप वर्मा व्याख्याता रसायन विज्ञान	10-07-1973	Govt. Sr. Sec, School, CHABRA Disst- BARAN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INDERGARH WARD NO. 12 (221626) Disst-BUNDI

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/**कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त** नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

सम्बंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांकः–**24-12-2022** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। **नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें।** कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगें, संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः— शिविरा—मा/संस्था/बी—2/प्रधानाचार्य/रिव्यूडीपीसी/2020—21/बंदलिफाफा/पदस्थापन दि0 :: 21-12-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव—स्कूल शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान—सरकार, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (क—5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान—सरकार, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान—सरकार, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. समस्त संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा/ समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
8. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
9. संबधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/वि0 जांच/डीपीसी/संस्था—सी ओएसी अनुभाग कार्यालय हाजा
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक—कार्मिक